विषय :– अनिवार्य सेवा निवृति की आयु–श्रेणी I तथा II के अधिकारियों को 50/55 की वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखना।

क्या वित्तायुक्त, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के अशा0 क्रमांक 4884–4 जी0एस0 I–74, दिनांक 24 सितम्बर, 1974 की ओर ध्यान देंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि श्रेणी I तथा II के अधिकारियों को 50/55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखने के अथवा निवृत करने के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व प्रत्येक केस में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सामान्य सेवायें शाखा–I) की मन्त्रणा प्राप्त की जानी चाहिए ?

2. तदनुसार श्रेणी–I तथा II के अधिकारियों के जो केस प्रशासकीय विभागों द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सामान्य सेवायें शाखा–I) की मन्त्रणा के लिए भेजे गए हैं उनकी जांच करने पर यह देखा गया है कि उनमें सारी स्थिति का ठीक प्रकार से वर्णन नहीं किया जाता जिससे केसों की जांच करने में कठिनाई होती है और कई बार (Back reference) करने पड़ते हैं। इसलिये अब यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में जितने भी प्रस्ताव अधिकारियों को 5055 वर्ष की आयु की प्राप्ति के पश्चात सेवा में रखने के बारे में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सामान्य सेवायें शाखा–I) की मन्त्रणा के लिए भेजें जायें उनका ब्यौरा संलग्न प्रोफार्मा में दिया जाना चाहिए। यदि कोई प्रस्ताव इस प्रोफार्मा में प्राप्त नहीं होगा तो उसे विभाग को ऐसा करने के लिए लौटा दिया जायेगा।

3. उनसे अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किये जाने के लिए इन्हें अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में ला दिया जाये।

हस्ता/–
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

वित्तायुक्त, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा0 क्रमांक 3556–4 जी0 एस0 –I–75, दिनांक, चण्डीगढ़ 30 जून, 1975

प्रेषक

अशा0 क्रमांक

दिनांक

विषय:–

---

(1) अधिकारी का नाम तथा पद संज्ञा।

(2) किस श्रेणी से सम्बन्ध रखता है।

(3) विभाग तथा कार्यालय का नाम।

(4) सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि।

(5) क्या वह 35 वर्ष की आयु से पहले भर्ती हुआ था ?

(6) जन्म तिथि।

(8) (क) क्या अधिकारी का समस्त सेवा रिकार्ड उपलब्ध है यदि नहीं तो किस वर्ष की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और उसका क्या कारण है ।

(ख) (1) यदि कोई रिपोर्ट (स) उपलब्ध नहीं तो यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिकारी की वर्ष ————की गोपनीय रिपोर्ट/रिपोर्ट स लिखी नहीं गई को उपलब्ध करने के लिए भरसक प्रयत्न किया गया परन्तु यह रिपोर्ट/रिपोर्ट स उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

(ख) (2) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जिस अवधि की गोपनीय रिपोर्ट स उपलब्ध नहीं है विभाग/कार्यालय के ज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके अनुसार इस अवधि में इस अधिकारी की ईमानदारी पर कोई सन्देह प्रकट किया गया हो ।

(9) पिछले दस वर्षों के सेवा रिकार्ड की असैसमैंट ।

(क) उतकृष्ट
(ख) बहुत अच्छी
(ग) अच्छी
(घ) सामान्य
(ङ) सामान्य से नीचे

(10) क्या अधिकारी की 50% रिपोर्ट स अच्छी हैं ? — हां/नहीं

(11) रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी का ब्यौरा

(12) (क) क्या सेवा में कभी ईमानदारी पर शक प्रकट किया गया ? — हां/नहीं

(ख) यदि हां, तो दी गई टिप्पणी का ब्यौरा ।

(13) सेवा रिकार्ड का समस्त निर्धारण ।

(14) विभाग/कार्यालय की सिफारिश

(i) 50/55 वर्ष की आयु से आगे सरकारी सेवा में वृद्धि दे दी जाए / न दी जाए।

(ii) केस की ईमानदारी सन्दिग्ध होने की सूरत में अधिकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए ।

(15) अन्य टिप्पणी यदि कोई हो ।